न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्या :– 63/2014

वादी :–

देवाराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. नरसिंहराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी उपरला बास, सालावास तहसील लूणी
2. केवलराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी उपरला बास, सालावास तहसील लूणी
3. श्रीमती सुरता पुत्री भूराराम पत्नि श्री केवलराम जी जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. के पास माणाई, तहसील एवं जिला जोधपुर।
4. श्रीमती छोगी पुत्री भूराराम पत्नी श्री भंवरलाल जी जाति माली निवासी रामाड़ीया बेरा, बिंजवाड़ीया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

वाद बाबत विभाजन कृषि जोत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

01 वादी की और से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित

02 प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री भागीरथ विशनाई, ईश्वरसिंह चंपावत उपस्थित।

03 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित

दिनाक :– 21-5-2025

–:: आदेश ::–

राजस्व वाद संख्या 63/2014 वास्ते बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्राथमिक डिकी दिनांक 07.04.2021 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को कमिश्नर नियुक्त कर बटवाड़ा प्रस्ताव हेतु लिख गया। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव पत्र कमांक राजस्व/2025/03 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा पेश गया किया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 अनुसार ग्राम किशनासर पटवार हल्का सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 597/1 कुल रकबा 6.9444 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

क.स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान
A	1. केवलराम पुत्र भूराराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देहा खातेदार	597/1	3.5191	बारानी ।	
		01	**3.5191**	बारानी ।	
B	1. नरसिंह पुत्र भूराराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	597/1	1.3889	बारानी ।	
		01	**1.3889**	बारानी ।	
C	1. देवाराम पुत्र भूराराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	597/1	1.3889	बारानी ।	
		01	**1.3889**	बारानी ।	
D	1 भंवरीदेवी पत्नी हजारी सिंह हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. सालावास खातेदार	59/1	0.6475	बारानी ।	
		01	**0.6475**	बारानी ।	

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर मौजूदा वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहने एवं मोजूदा वाद को जरिये विड्रोल निस्तारित/खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। इसी क्रम में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी पेश कर निवेदन किया कि वाद में विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी होकर बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश हो चुका है तथा वाद में मात्र अंतिम डिक्री पारित किया जाना ही शेष है। प्रकरण में विचारण पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव अंतिम डिक्री पारित करना ही कानूनी लाजमी है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आरआरडी 1975 की नजीर पेश की गई जिसके अनुसार सुरजा बनाम जीवन व अन्य के निर्णय दिनांक 6 दिसंबर 1974 के अनुसार **"In a suit for division of holding every person claiming or entitled to a share is a necessary party and every party wether arrayed as a plaintiff or as a defendant is in the position of plaintiff."** दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि विभाजन के वाद में प्रत्येक वादी प्रतिवादी एवं प्रत्येक प्रतिवादी वादी होता है इसलिए वाद का संचालक प्रत्येक पक्षकार पर समान होता है। चुकी वादी एवं प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बंटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 23.12.2024 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे। तद्अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपखण्ड अधिकारी, लूणी